अध्याय-V
वाहन, माल व यात्री कर

अध्याय-V
वाहन, माल व यात्री कर

5.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (परिवहन) सरकार स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है। एक राज्य परिवहन प्राधिकारी, एक अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (विशेष पथ कर), 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा 63 पंजीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा परिवहन विभाग की प्राप्तियों को केन्द्र तथा राज्य मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। माल व यात्री कर से प्राप्तियों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा विनियमित किया जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा परिणाम

राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अंतर्गत सांकेतिक कर, विशेष पथ कर, पंजीकरण फीस, परमिट फीस, चालक लाइसेंस फीस, परिचालक लाइसेंस फीस, शास्तियों एवं समेकित फीस से सम्बंधित 36 इकाईयों के अभिलेखों की 2016-17 में नमूना-जांच से 266 मामलों में ₹71.10 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कर का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जिनको नीचे दर्शाया गया हैं:

तालिका-5.1: लेखापरीक्षा परिणाम

₹करोड़ में

क्रमांक	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	**गैर-वसूली/ अल्पवसूली**		
	• सांकेतिक कर व समेकित फीस	83	4.28
	• विशेष पथ कर	24	23.09
	• यात्री व माल कर	15	1.17
2.	**अपवंचन**		
	• सांकेतिक कर	24	1.55
	• यात्री व माल कर	14	1.32
3.	**अन्य अनियमितताएं**		
	• वाहन कर	90	0.24
	• यात्री व माल कर	16	39.45
	योग	**266**	**71.10**

विभाग ने वर्ष 2016-17 के दौरान 98 मामलों में ₹4.04 करोड़ का अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिसमें से 98 मामलों में ₹2.44 करोड़ की राशि वसूल की गई जोकि विगत वर्षों से संबंधित थी।

आवश्यक मामलों की विवेचना ₹69.65 करोड़ से अंतर्ग्रस्त निम्नवत् पैराग्राफ में की गई है:

5.3 सांकेतिक कर की अवसूली

विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए 12,365 वाहनों के संदर्भ में ₹5.66 करोड़ के सांकेतिक कर की न तो मांग की गई और न ही इन वाहन मालिकों द्वारा इसका भुगतान किया गया।

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अंतर्गत वाहन मालिकों द्वारा सांकेतिक कर (टोकन टैक्स) का भुगतान त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप में निर्धारित तरीके से अग्रिम में किया जाना है। धारा 8 के अंतर्गत कराधान प्राधिकारी उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जो कि कर के भुगतान का उत्तरदायी है। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1974 के नियम 4-'ए' के अनुसार यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अंदर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसे सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् कर के अतिरिक्त देय कर की 25 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ति का भुगतान करने का निर्देश देगा।

राज्य परिवहन प्राधिकारी शिमला, 14 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों[1] तथा 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[2] के सांकेतिक कर रजिस्टरों एवं ***'वाहन'*** सॉफ्टवेयर में अनुरक्षित डाटा की नमूना जांच किये गये 25,718 वाहनों के अभिलेखों में से 12,365 वाहनों के सम्बन्ध में संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2013-14 से 2015-16 के वर्षों हेतु ₹5.66 करोड़ के सांकेतिक कर की राशि को वाहन मालिकों द्वारा विभिन्न अवधियों के लिए जमा नहीं करवाया गया था जैसा कि **अनुलग्नक-VII** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, कर का भुगतान न करने के लिए निर्धारित दरों पर शास्ति भी उद्ग्राह्य थी। चूक-कर्ताओं से कर वसूल करने के लिए कराधान प्राधिकारियों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹5.66 करोड़ के सांकेतिक कर की वसूली नहीं हुई।

सरकार तथा विभाग को मामला (मई 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (अगस्त 2016 तथा अक्तूबर 2017 के मध्य) सूचित किया छः पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों[3], सात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[4] तथा राज्य परिवहन प्राधिकारी, शिमला ने ₹59.82 लाख के सांकेतिक कर की वसूली कर ली थी तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किये गये थे। शेष कराधान प्राधिकारियों ने सूचित किया कि चूक-कर्त्ताओं को कर जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किये जाएगें। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

---

[1] **पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी**-अम्ब: ₹62.49 लाख, अर्की: ₹52.76 लाख, बिलासपुर: ₹30.89 लाख, चौपाल: ₹3.27 लाख, देहरा: ₹32.17 लाख, कांगड़ा: ₹12.98 लाख, मण्ड़ी: ₹41.23 लाख, मनाली: ₹4.22 लाख, पालमपुर: ₹10.49 लाख, परवाणु: ₹1.10 लाख, राजगढ़: ₹7.36 लाख, रोहडू: ₹19.20 लाख, सरकाघाट: ₹13.37 लाख तथा शिमला (ग्रामीण): ₹5.81 लाख।

[2] **क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी**-बिलासपुर: ₹27.67 लाख, चम्बा: ₹14.66 लाख, हमीरपुर: ₹9.70 लाख, कांगड़ा: ₹22.82 लाख, कुल्लू: ₹49.14 लाख, मण्ड़ी: ₹17.15 लाख, नाहन: ₹9.21 लाख, शिमला: ₹36.18 लाख, सोलन: ₹4.30 लाख तथा ऊना: ₹35.65 लाख। **राज्य परिवहन प्राधिकारी,** शिमला: ₹42.45 लाख।

[3] **पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी**-अम्ब: ₹5.64 लाख, अर्की: ₹2.16 लाख, कांगड़ा: ₹2.88 लाख, मण्ड़ी: ₹15.30 लाख, पालमपुर: ₹9.00 लाख तथा सरकाघाट: ₹2.08 लाख।

[4] **क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी**-बिलासपुर: ₹3.71 लाख, चम्बा: ₹1.80 लाख, हमीरपुर: ₹0.79 लाख, कांगड़ा: ₹2.97 लाख, मण्ड़ी: ₹2.43 लाख, नाहन: ₹2.61 लाख, ऊना: ₹5.33 लाख तथा **राज्य परिवहन प्राधिकारी**, शिमला: ₹3.12 लाख।

5.4 विशेष पथ कर की अवसूली/अल्प-वसूली

विशेष पथ कर ₹22.39 करोड़ की राशि को हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी स्टेज कैरिजों से वसूल नहीं किया गया था।

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3-'क' के अंतर्गत राज्य में प्रयुक्त अथवा प्रयोग हेतु रखे गए सभी परिवहन वाहनों पर राज्य सरकार मासिक रूप से विशेष पथ कर का उद्ग्रहण करेगी। इसका भुगतान निर्धारित दरों[5] पर प्रत्येक मास की 15वीं तारीख तक अग्रिम रूप में किया जाएगा। आगे, अधिनियम की धारा 14 (2) में विशेष पथ कर के भुगतान से छूट का प्रावधान है यदि पंजीकृत मालिक कराधान प्राधिकारी को पहले ही लिखित में सूचना देता है कि एक निश्चित अवधि के लिए उसका मोटर वाहन सार्वजनिक स्थान में प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा उस मोटर वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र परमिट सहित संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के पास जमा करवाता है। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1974 के नियम 4ए में प्रावधान है कि यदि कोई वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अन्दर देय विशेष पथ कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी देय कर के 25 प्रतिशत वार्षिक दर से वाहन मालिक को शास्ति का भुगतान करने का निर्देश देगा।

5.4.1 हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा विशेष पथ कर का भुगतान न करना

नौ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों की जून 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹20.86 करोड़[6] की राशि को मार्च 2017 तक न तो हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा जमा करवाया गया था और न ही क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई थी ।

इसे इंगित किए जाने पर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने बताया कि वसूली से संबंधित मामला हिमाचल पथ परिवहन निगम के साथ उठाया जाएगा। विगत लेखापरीक्षाओं में इस मामले को इंगित किये जाने के बावजूद भी वसूली को समय पर वसूल करने को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई हैं1

5.4.2 विशेष पथ कर का निर्धारण करने के लिए रूट-परमिटों को गणना में न लेना

(i) लेखापरीक्षा ने दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[7] के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि 2015-16 की अवधि के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के स्टेज कैरिजों के लिए 11 रूट परिमटों को जारी/नवीकृत किया गया था, को विशेष पथ कर के निर्धारण की गणना में नहीं लिया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड़िपोज द्वारा प्रस्तुत की गई विशेष पथ कर निर्धारण विवरणियों की संवीक्षा के समय इस चूक का पता लगाने में असफल रहें। इस प्रकार, ₹37.61 लाख[8] का विशेष पथ कर निर्धारण से छूट गया।

---

[5] विशेष पथ कर की दरें मार्गों जिन पर वाहन चलाये जा रहे हैं जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें तथा 30 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली स्थानीय बसों/मिनी बसों के वर्गीकरण पर आधारित होगी। उपरोक्त मार्गों हेतु विशेष पथ कर की दरें क्रमश: ₹6.04, ₹5.03 तथा ₹4.03 प्रति-सीट प्रति किलोमीटर है।

[6] बिलासपुर: ₹1.01 करोड़, चम्बा: ₹1.31 करोड़, हमीरपुर: ₹1.00 करोड़, कांगड़ा: ₹5.43 करोड़, कुल्लू: ₹2.18 करोड़, मण्डी: ₹2.75 करोड़, नाहन: ₹89.00 लाख, शिमला: ₹5.21 करोड़ तथा सोलन: ₹1.08 करोड़।

[7] शिमला: 10 मामले तथा नाहन: एक मामला

[8] शिमला: ₹31.56 लाख तथा नाहन: ₹6.05 लाख

(ii) विशेष पथ कर का अल्प निर्धारण

दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[9] की हिमाचल पथ परिवहन निगम इकाईयों द्वारा 2015-16 की अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विशेष पथ कर निर्धारण विवरणियों एवं रूट परमिटों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 11 मामलों में विशेष पथ कर की गणना रूट परमिट के अनुसार अथवा रूट परमिटों के अनुसार तय की गई दूरी के अनुसार नहीं की गई थी तथा विशेष पथ कर की निर्धारण विवरणियों को सही मान लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹9.48 लाख के विशेष पथ कर का अल्प निर्धारण हुआ।

5.4.3 निजी स्टेज कैरिज

आठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[10] के विशेष पथ कर के रजिस्टरों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 167 मामलों में 2014-16 की अवधि के लिए ₹1.06 करोड़ की राशि का विशेष पथ कर निजी स्टेज कैरिजों के मालिकों से वसूली योग्य था। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे प्रतीत होता कि विशेष पथ कर को वसूल करने के लिए कराधान प्राधिकारियों द्वारा कोई पहल की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹1.06 करोड़ के विशेष पथ कर की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त, निर्धारित दरों पर ₹26.44 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

उपर्युक्त सभी मामलों में अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे प्रतीत होता कि विशेष पथ कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों/रूट परमिटों का संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास अभ्यर्पण किया गया था।

सरकार तथा विभाग को मामला जुलाई 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (अप्रैल तथा अक्तूबर 2017 के मध्य) सूचित किया कि ₹47.97 लाख में से ₹30.01 लाख की राशि को पांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[11] द्वारा वसूल कर लिया गया था तथा शेष क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने बताया कि राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहें थे। सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2017)।

5.5 यात्री व माल कर की अवसूली

2014-15 से 2015-16 की अवधि के लिए ₹1.10 करोड़ की राशि के माल व यात्री कर का न तो 1,911 वाणिज्यिक वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई थी ।

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम,1955 की धारा 3 के अंतर्गत वाहन मालिकों से निर्धारित दरों पर मासिक अथवा त्रैमासिक रूप से कर एवं भाड़ा इत्यादि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, 1957 के नियम 9(7)(ii)(सी) (i व ii) में प्रावधान है कि वाहन मालिक उस अवधि के लिए जिसके लिए वह जैसे ही अपना वाहन सडक पर चलने से बंद करता है, कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों को सूचित करेगा। नियम 22 आगे प्रावधान करता है कि किसी वाहन मालिक द्वारा यदि कोई राशि देय है, उस स्थिति में निर्धारण प्राधिकारी कर के भुगतान के प्रूफ के रूप में चालान की प्राप्ति प्रस्तुत करने हेतु वाहन मालिक को नोटिस जारी करेगा। उपर्युक्त अधिनियम की

[9] शिमला: ₹6.24 लाख तथा नाहन: ₹3.24 लाख

[10] बिलासपुर: ₹3.03 लाख, कांगड़ा: ₹24.37 लाख, कुल्लू: ₹2.47 लाख, मण्डी: ₹11.56 लाख, नाहन: ₹4.84 लाख, शिमला: ₹14.88 लाख, सोलन: ₹25.84 लाख तथा ऊना: ₹18.76 लाख

[11] बिलासपुर: ₹2.24 लाख, कांगड़ा: ₹8.15 लाख, मण्डी: ₹5.46 लाख, नाहन: ₹3.72 लाख तथा ऊना: ₹10.44 लाख

धारा 12 में आगे प्रावधान है कि किसी बकाया या इस अधिनियम के अंतर्गत लगाई गई शास्ति भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालयों में अनुरक्षित किये गये मांग एवं संग्रहण रजिस्टरों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 1,911 वाहनों[12] के संदर्भ में 2014-15 से 2015-16 की अवधि के लिए ₹1.10 करोड़ की राशि का वाणिज्यिक वाहन मालिकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया था जो कि आबकारी एवं कराधान विभाग में पहले से ही पंजीकृत थे। वाहन मालिकों द्वारा उक्त अवधि के दौरान अपने वाहन का सड़क पर उपयोग न करने के बारे तथा कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए कोई मांग भी नहीं की गई थी। तथापि, निर्धारण प्राधिकारियों ने न तो वाहन मालिकों को कर जमा करवाने के प्रूफ में मांग जारी की थी और न ही कर वसूली को भू-राजस्व के रूप में वसूल करने हेतु मामलों को आयुक्त को भेजा था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.10 करोड़ के यात्री व माल कर की वसूली नहीं हुई, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-5.2: वाहनों से माल व यात्री कर की गैर-वसूली

₹ लाख में

क्रमांक	वाहनों के प्रकार	वाहनों की कुल संख्या जिनके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया	देय कर की राशि
1.	**यात्री वाहन** (मैक्सी कैब/ टैक्सी)	459	21.87
2.	**यात्री वाहन** (शैक्षणिक संस्थान बसें)	46	3.76
3.	**माल वाहन** (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	1,406	84.13
योग		**1,911**	**109.76**
			अर्थात् 1.10 करोड़

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (सितम्बर 2017) सूचित किया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 567 वाहन मालिकों से ₹29.55 लाख की राशि (यात्री कर ₹9.63 लाख तथा माल कर ₹19.92 लाख) को वसूल कर लिया था तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

5.6 आबकारी एवं कराधान विभाग के पास वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण न करवाना

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा संबंधित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण, 2,961 वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों ने अपने वाहनों को संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.13 करोड़ राशि के यात्री व माल कर की अवसूली हुई।

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 तथा उसके अधीन बनाई गई हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, 1957 के अंतर्गत स्टेज/संविदा कैरिज तथा माल वाहन मालिकों को निर्धारित दरों पर यात्री कर व माल कर का भुगतान किए जाने हेतु उनके वाहनों का

[12] बद्दी: 244 वाहन: ₹13.08 लाख, बिलासपुर: 583 वाहन: ₹38.14 लाख, कांगड़ा: 180 वाहन: ₹12.11 लाख, सिरमौर: 349 वाहन: ₹19.58 लाख, शिमला: 384 वाहन: ₹16.59 लाख तथा सोलन: 171 वाहन: ₹10.26 लाख

पंजीकरण सम्बद्ध आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के पास कराया जाना अपेक्षित है। वाहनों के पंजीकरण का कार्य पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के द्वारा संभाला जाता है तथा यात्री व माल कर का संग्रहण विभिन्न सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा संभाला जाता है। आगे, अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है कि कोई भी वाहन मालिक राज्य में अपना वाहन तब तक नहीं ला सकेगा जब तक उसके पास सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा जारी किया गया वाहन के पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र नहीं होगा। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9-बी(5) में आगे प्रावधान है कि यदि, वाहन मालिक अपने वाहन का पंजीकरण कराने के लिए आवेदन करने में विफल रहता है तो उससे शास्ति जो निर्धारित की गई कर की राशि के पांच गुणा से अधिक न हो, तथा न्यूनतम ₹500 हो, भी उद्ग्राह्य होगी।

तीन पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों[13] तथा पांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों[14] के पंजीकरण अभिलेखों के साथ संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पंजीकरण अभिलेखों की प्रति जांच करने पर उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत 6,342 वाणिज्यिक वाहनों में से 2,961 वाहन नियत किये गए यात्री व माल कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी थे लेकिन सम्बद्ध सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पास पंजीकृत नहीं किये गए थे। सम्बंधित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों का सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के साथ समन्वय के अभाव के परिणामस्वरूप, इन 2,961 वाहनों के लिए ₹1.13 करोड़[15] के यात्री व माल कर की अवसूली हुई जैसा कि **अनुलग्नक-VIII** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, वाहनों का पंजीकरण न होने के कारण ₹14.81 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (सितम्बर 2017) सूचित किया कि छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने ₹1.13 करोड़ में से 525 वाहन मालिकों से ₹19.22 लाख की राशि तथा ₹61,500 की शास्ति (यात्री कर ₹3.07 लाख तथा माल कर ₹16.15 लाख) को वसूल कर लिया था तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहें थे। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

5.7 अतिरिक्त माल कर उद्ग्रहण तथा संग्रहण न करना

तीन सीमेंट कम्पनियों द्वारा ₹39.37 करोड़ का अतिरिक्त माल कर का न तो भुगतान किया गया न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई, जिन्होने सीमेंट व क्लीन्कर के विनिर्माण हेतु खनन क्षेत्रों से सीमेंट संयंत्रों तक चूना पत्थर तथा स्लेटी पत्थर (शेल) का परिवहन किया था।

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 की धारा 3-बी में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को प्रत्येक मद के लिए निर्धारित दरों पर जो हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की अनुसूची-।। के कॉलम (2) में निर्दिष्ट है, माल के परिवहन पर अतिरिक्त माल कर उद्ग्रहित, प्रभारित तथा भुगतान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली

[13] पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी-बिलासपुर, सिरमौर तथा सोलन

[14] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-बद्दी, बिलासपुर, कागड़ा, शिमला तथा सोलन

[15] सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त-बद्दी: ₹57.64 लाख, बिलासपुर: ₹22.98 लाख, धर्मशाला: ₹13.14 लाख, सिरमौर: ₹3.03 लाख, शिमला: ₹9.81 लाख तथा सोलन: ₹6.14 लाख

के नियम-9-ड़ी में आगे प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट माल परिवहन हेतु प्रेषण के लिए विक्रय या प्रेषण प्राधिकृत करता है तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया जाता है तो सम्बद्ध जिला कार्यालय में हिमाचल प्रदेश माल व बिक्री कर अधिनियम, 1968 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जिले के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त अथवा प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से पंजीकृत किया जाएगा। प्राधिकृत व्यक्ति अतिरिक्त माल कर की राशि एकत्रित करेगा तथा इस राशि को सरकारी कोष में जमा कराएगा। नियम 9-ई में आगे प्रावधान है कि निर्धारण प्राधिकारी अधिनियम के अंतर्गत कर को एकत्रित करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 4-'ए' के अंतर्गत प्रस्तुत की गई प्रत्येक रिटर्न की महीने की समाप्ति के बाद समीक्षा करेगा तथा निर्धारण प्राधिकारी अर्ध-वार्षिकी आधार पर प्रत्येक मामले का निर्धारण करेगा।

खनन अधिकारियों, सोलन तथा बिलासपुर से एकत्रित अभिलेखों की सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों बिलासपुर तथा सोलन के अभिलेखों से प्रति जांच की लेखापरीक्षा संवीक्षा करने पर उद्घाटित हुआ कि अतिरिक्त माल कर को एकत्रित करने हेतु प्राधिकृत तीन सीमेंट कम्पनियों ने 2015-16 की अवधि के दौरान चूना पत्थर एवं स्लेटी पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने हेतु खनन क्षेत्र से अपने सीमेंट प्लॉट तक 1,09,86,514 मीट्रिक टन चूना-पत्थर तथा 14,30,418 मीट्रिक टन स्लेटी पत्थर का प्रेषण किया जिस पर ₹39.45 करोड़[16] का अतिरिक्त माल कर उद्ग्राहय था जिसके स्थान पर वास्तव में ₹8.38 लाख ही भुगतान किया गया था। यद्यपि कम्पनियां जब से उन्हें प्राधिकृत किया गया था, नियमित रूप से अतिरिक्त माल कर की रिटर्न प्रस्तुत कर रही थी परन्तु सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने उनकी मासिक रिटर्नों की संवीक्षा नहीं की तथा अर्ध-वार्षिक आधार पर उनके निर्धारण को अन्तिम रूप नहीं दिया परिणामस्वरूप ₹39.37 करोड़ के अतिरिक्त माल कर की राजस्व हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने पर सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन ने (अप्रैल 2017) बताया कि मामला आबकारी एवं कराधान आयुक्त के पास विचाराधीन है तथा नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस मामले को मार्च 2014, मार्च 2015 तथा मार्च 2016 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाया गया था। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने सीमेंट कम्पनी के परिसरों का दौरा करने के बाद सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन को (अगस्त 2015) किसी एक सीमेंट कम्पनी के उत्तर पर कुछ अतिरिक्त तथ्यों का परीक्षण करने के निर्देश दिये थे तथा कृत-कार्रवाई मांगी गई थी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन ने सूचित किया कि निकाले गए चूना-पत्थर को खनन क्षेत्र से वहां स्थित क्रशर तक ड़म्परों द्वारा लाया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2016 में आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन से उत्तर प्राप्त करने के बावजूद भी आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने इस मामले पर 11 अक्तूबर 2017 को पूछे जाने के बावजूद भी अंतिम निर्णय प्रस्तुत नहीं किया।

[16] चूना- पत्थर: 10986514 मीट्रिक टन x ₹35 प्रति टन + स्लेटी-पत्थर: 1430418 मीट्रिक टन x ₹7 प्रति टन

चूंकि जिन सड़को पर डम्पर चल रहे थे, खनन क्षेत्र में थीं तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई थीं, इसलिए सीमेंट कम्पनियों द्वारा यात्री एवं माल कर भुगतान योग्य था। इसलिए खनन क्षेत्रों में स्थापित सड़के जो हिमाचल प्रदेश सरकार की संपति थी, के इस्तेमाल हेतु सीमेंट कम्पनियों को चूना/स्लेटी पत्थर पर अतिरिक्त माल कर की कटौती/जमा करवाना अनिवार्य था।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2016 तथा फरवरी 2017 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2017)।